...की अदालत मय ट्रांशिशियल जज

...की तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी पार्टी

अधिवक्ता श्रीमान के 102 नियम 6 सी.पी.सी. पत्र जिस में कहना चाहते हैं कि उनके का मुकदमा दायर कर उनके प्रार्थना पत्र अंकित किया जाने से उक्त वादपत्र प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. किये जाने की प्रकरण का संक्षिप्त विवरण -

आवेदक पार्टी ने प्रार्थना पत्र 0/s 212 आर.टी.एक 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि मौजा खिलवारा के ख.नं. 507, 508, 520, 522, 524 कुल रकबा 05 बिस्वा कुल रकबा 0.9200 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी भूमि पार्ट हुई स्थित है प्रार्थी करीब 1/2 एक हिस्सा की खेती भूमि में मेरे की फसल को कर प्रतिवादी नियमानुसार अन्य कार्यवाही निर्णय रूप से कर रहा है और फसल अच्छी होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की नियत से नष्ट कर गया तथा चोरी करके माल विक्रय कर दिया गया है। का हर्जाना चाहती है इस कारण अपने अन्य के नुकसान करके कर लाभ ले गये। जिनका नुकसान कथनों बयान पर आधारित होते हैं प्रार्थी गण के जरिये प्रत्यर्थी निषेधाज्ञा रोक लगी की प्रार्थना की।

बहस के दौरान भी आवेदक पार्टी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की 1/2 भूमि में खड़ी मेरी की फसल पर प्रतिवादी गण 1 व 2 कब्जा करने का इरादा है तथा मौके के हालात बयान करते की धमकियां दे रहे हैं लिहाजा प्रतिवादी के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की प्रार्थना की है।

बरअक्स बहस में आवेदक प्रार्थी ने कथन कि अनेकापेट हैं कि सभी का प्रतिकूल है की भूमि पर सभी का हक होना जाहिर किया। तथा कोर्ट के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण पत्र मय कागज पत्र, जवाबदावा मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस बहुमाय पर गौर कर मनन

अधिवक्ता श्री ... मोहन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किया गया। वादग्रस्त भूमि कार्यी व प्रकार्यी संख्या 01 व 02 की संयुक्त काश्त की प्रतीत होती है। लिहाजा कार्यी का 1/2 हिस्सा दर्ज रहा है। लिखित बहस परिप्रेक्ष्य में बाद 1 वैधता/विश्लेषण वादग्रस्त भूमि की मौके व हकीयत की 1 स्थिति बाद निर्णय एक यथास्थिति रखना उचित समझते है।

—:: आदेश ::—

मुकदमा प्रा. अन्तरिम प्रत्याहि निषेधाज्ञा वास्ते कार्यी 1 बनाम प्रकार्यी खातिरकार सरकार मौजा ग्राम बिसवाल के खसरा नम्बर 507, 508, 520, 522, 524 कुल जमीन 5 कनाल रकबा 0.9200 हेक्टेयर भूमि की मौके व हकीयत की वाद निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रकार्यीगण संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाता है।

(गोपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 28/3/22 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत